09/1/25

पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित [illegible] रिपोर्ट प्राप्त [illegible] मिसिल [illegible] से [illegible] जाकर [illegible] न्यायालय में [illegible] पत्रावली [illegible] से कम हो [illegible] तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

दावा संख्या
1/77

तारीख दायर
24.05.2022

तारीख अन्तिम निर्णय
09–1–2025

बउनवान

01:–श्रीमति शिप्रा सिंघानिया पत्नि ऋषभ सांधी जाति महाजन निवासी 701 वण्डर हाईटस, नजदीक मालवीय नगर, तहसील अलवर, जिला अलवर

02:–श्रीमति सुनीता सांधी पत्नि निकुंज सांधी जाति महाजन निवासी 701 वण्डर हाईटस, नजदीक मालवीय नगर, तहसील अलवर, जिला अलवर

वादी

बनाम

01:–पवन यादव पुत्र छोटेलाल यादव जाति यादव निवासी ग्राम तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर

02:–मदन सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह जाति दर्जी निवसी 3 रामानन्द नगर लाल डिग्गी अलवर

03:–संतोष कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दानपुर तहसील राजगढ जिला अलवर

04:–हरिशंकर पुत्र मन्नुराम जाति मीणा निवासी ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर

05:–तहसीलदार (भूमीधारी) अलवर जिला अलवर

असल प्रतिवादी

06:–तेजपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह जाति सिक्ख

07:–दलेर सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह जाति सिक्ख निवासी

तरतीवी प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय

वाद वादी इस प्रकार अन्तिम निर्णय किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 0. 37 है0, 285 रकबा 0.40 है0, 280 रकबा 0.65 है०, कुल किता 3 रकबा 1.42 है० वाके ग्राम लिवारी, तहसील व जिला अलवर मे स्थित है आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 0.37 है0 के राजस्व रेकार्ड में 3 खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 पवन यादव हिस्सा 16/37 दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 मदन सिह रकबा 15/37 हिस्सा दर्ज है तथा वादनी संख्या 1 श्रीमति शिप्रा सिंघानिया हिस्सा 6/37 दर्ज है आराजी खसरा नंम्बर 285 रकबा 0.40 है0 में मुताबिक राजस्व रेकार्ड वादनी संख्या 1 श्रीमति शिप्रा सिंघानिया हिस्सा 7/40 दर्ज है तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 तेजपाल सिह का 13/40 हिस्सा व तरतीबी संख्या 7 दलेर सिह हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड है। न्यायालय श्रीमान में लंबित वाद संतोष कुमार बनाम तेजपाल वगैरा में यह तथ्य दर्ज है कि प्रतिवादी संख्या 3 संतोष कुमार द्वारा खसरा नम्बर 285 रकबा 0.40 है०, में से 13/56 हिस्सा यानि कुल 1300 वर्गमीटर आराजी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 06.11.2013 द्वारा पूर्व खातेदार तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता स्वर्गीय अमर सिह द्वारा कय की गई है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 संतोष कुमार उक्त आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 40 एयर में से 3/56 हिस्सा के केता है परन्तु उनके नाम कोई नामान्तरकण दर्ज नही है और न राजस्व रेकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

है खातेदार दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 65 एयर में वादनी संख्या 1 शिप्रा सिंघानिया हिस्सा 7/13 दर्ज रेकार्ड है तथा वादनी संख्या 2 सुनीता सांधी का हिस्सा 1/5 दर्ज रेकार्ड है इसी प्रकार तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 तेजपाल सिह हिस्सा 17/65 दर्ज रेकार्ड है। न्यायालय श्रीमान में लंबित वाद बअनुवान हरिशंकर बनाम तेजपाल सिंह में यह तथ्य दर्ज है कि खसरा नम्बर 280 रकबा 65 एयर में से प्रतिवादी संख्या 4 हरिशंकर द्वारा उक्त खसरा नम्बर का 8/65 हिस्सा यानि 800 वर्गमीटर पूर्व खातेदारान से प्रतिवादी संख्या 4 हरिशंकर द्वारा कय किया गया है परन्तु उसका कोई नामान्तरकरण विक्रय पत्र के अनुसार बहक प्रतिवादी संख्या 4 हरिशंकर के हक में नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से वह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में पक्षकारान का हिस्सा बतौर सह खातेदार निम्नलिखित है—1:—आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 0.37 है0 वादनी संख्या 1 श्रीमति शिप्रा सिंघानिया हिस्सा 6/37 यानि 600 वर्गमीटर, प्रतिवादी संख्या 1 पवन यादव हिस्सा 16/37 यानि 1600 वर्गमीटर, प्रतिवादी संख्या 2 मदन सिह रकबा 15/37 हिस्सा यानि 1500 वर्गमीटर, 2:—आराजी खसरा नंम्बर 285 रकबा 0.40 है0 वादनी संख्या 1 श्रीमति शिप्रा सिंघानिया हिस्सा 7/40 यानि 700 वर्गमीटर, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 तेजपाल 13/40 हिस्सा यानि 1300 वर्गमीटर, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 दलेर सिह हिस्सा 1/2 यानि 2000 वर्गमीटर कुल 3300 वर्गमीटर,

जिसमें से जरिये विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 3 संतोष कुमार ने 13/56 हिस्सा यानि 1300 वर्गमीटर खरीद की हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 4 हरिशंकर ने 300 मीटर आराजी खरीद की हुई है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1300 वर्गमीटर है एवं हरिशंकर मीणा का 300 वर्गमीटर हिस्सा है तथा शेष 1700 वर्गमीटर आराजी के खातेदार तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 तेजपाल सिह व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 दलेर सिह है।

खसरा नम्बर 280 रकबा 65 एयर वादनी संख्या 1 शिप्रा सिंघानिया हिस्सा 7/13 भूमि यानि 3500 वर्गमीटर की खातेदार है वादी संख्या 2 श्रीमति सुनीता सांधी 1/5 हिस्सा यानि 1300 वर्गमीटर की खातेदार है तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 तेजपाल सिंह हिस्सा 17/65 यानि 1700 वर्गमीटर के खातेदार है उक्त रकबे में से 300 वर्गमीटर एरिया प्रतिवादी संख्या 4 हरिशंकर द्वारा कय किया हुआ है।

वादनी संख्या 1 व वादनी संख्या 2 उपरोक्त विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 568 के रकबे 600 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 285 के रकबा 700 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 280 के कुल 4800 वर्गमीटर यानि कुल 6100 वर्गमीटर भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा बाद खरीद वादी संख्या 1 व 2 आराजी पर आज तक शांतीपूर्ण तरीके से काश्त करती चली आ रही है तथा राजस्व रेकार्ड में भी वे उपरोक्त अनुसार खातेदार दर्ज है उपरोक्त आराजी अरजे दराज से बाहमी बंटवारे के अनुसार अनुसार विभाजित आराजी है जिस पर समस्त सहकाश्तकार अपने अपने हिसे के अनुसार काबिज है।

वादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की निम्नलिखित आराजी का विभाजन कर अलग अलग खाता कायम किया जावे आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 0.37 है0 में से वादनी संख्या 1 श्रीमति शिप्रा सिंघानिया का 6/37 हिस्सा यानि 600 वर्गमीटर आराजी का अलग खाता कायम किया जावे तथा आराजी खसरा नंम्बर 285 रकबा 0.40 है0 में से वादनी संख्या 1 श्रीमति शिप्रा सिंघानिया का 7/40 हिस्सा यानि 700 वर्गमीटर आराजी का अलग खाता कायम किया जावे। एंव खसरा नम्बर 280 रकबा 65 एयर में से वादनी संख्या 1 शिप्रा सिंघानिया का 7/13 हिस्सा यानि 3500 वर्गमीटर तथा वादनी संख्या 2 श्रीमति सुनीता सांधी का 1/5 हिस्सा यानि 1300 वर्गमीटर कुल वादीगण का 4800 वर्गमीटर हिस्सा कायम किया जाकर पृथक खाता कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
...गर

दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई कर दिनॉक 29-01-2024 को प्रारम्भिक निर्णय किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 0.37 हेक्टेयर , 285 रकबा 0.40 है0 ,280 रकबा 0.65 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर मे अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी बाई मिटस एण्ड बाउन्डस मौके राजस्व रिकार्ड व हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे मे विभाजन को प्रर्दशित करते हुये पेश करे।

तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट कुर्रेजात आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 0.37 हेक्टेयर , 285 रकवा 0.40 है0 ,280 रकबा 0.65 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर के कम मे प्रस्तुत कि गई

हमने वकुलाय की अन्तिम बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात रिपोर्ट का अध्ययन किया प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही होना प्रतीत होती है सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल महाजन ग्राम दानपुर तहसील राजगढ जिला अलवर के रजिर्स्टड बयनामे का अमल राजस्व रिकार्ड करते हुये। इस प्रकार मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के उक्त उनवानी वाद अन्तिम निर्णय किया जाना अन्तिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुर्रेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अन्तिम डिकी किया जाता है

कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वि0वि0
01	शिप्रा सिंघानिया पत्नि ऋषभ सांघी जाति महाजन निवासी 701 वडंर हाईटस मालवीय नगर अलवर खातेदार हि0 47/60	280/1	0.60	चाही द्वितीय	
02	तेजपाल सिंह पुत्र अमर सिंह हि0 4/5 जाति सिख सा0 देह खातेदार शिप्रा सिंघानिया पत्नि ऋषभ सांघी हि0 1/5 जाति महाजन निवासी 701, वंडर हाईटस मालवीय नगर अलवर खातेदार	280/2	0.05	चाही द्वितीय	
03	शिप्रा सिंघानिया पत्नि ऋषभ सांघी जाति महाजन निवासी 701 वंडर हाइटस नजदीक मालवीय नगर खातेदार	285/1	0.06	चाही द्वितीय	
04	दलेर सिंह पुत्र अमर सिंह हि0 13/22 तेजपाल सिंह पुत्र अमरसिंह हि0 7/22 जाति सिख सा0 देह खातेदार शिप्रा सिंघानिया पत्नि ऋषभ सांघी हि0 1/22 जाति महाजन नि0 701 वंडर हाइटस नजदीक मालवीय नगर अलवर खातेदार सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल महाजन हि0 1/22 ग्राम दानपुर तहसील राजगढ जिला अलवर खातेदार	285/2	0.22	चाही द्वितीय	
05	सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल महाजन ग्राम दानपुर तहसील राजगढजिला अलवर खातेदार	285/3	0.12	चाही तृतीय	
06	शिप्रा सिंघानिया पत्नि ऋषभ सांघी जाति महाजन नि0 701 वंडर हाइटस नजदीक	568/1	0.06	नहरी द्वितीय	

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

	मालवीय नगर अलवर खातेदार				
07	पवन यादव पुत्र छोटेलाल यादव हि0 16/31 जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर खातेदार मदन सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह हि0 15/31 जाति दर्जी सा0 3 रामानन्द नगर लाल डिग्गी खातेदार	568/2	0.31	नहरी द्वितीय	

अंतिम निर्णय जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 09 –01–25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर